छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल,
हरिभूमि काम्पलेक्स, टिकरापारा, धमतरी रोड, रायपुर

क्रमांक/101/विद्यो./2015, रायपुर, दिनांक 09/05/2015

//आदेश//

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा पूर्व में पत्र क्रमांक/1527-A/विद्यो./2013, रायपुर दिनांक 12.03.2013 द्वारा आर.आई.ओ.एस. नई-दिल्ली को सदस्यता दी गई थी। ये सदस्यता छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के विनिमय तथा छ.ग. शासन के विद्यमान नियमों के विपरीत प्रदान की गई थी। ये सदस्यता का कोई वैधानिक आधार नहीं है। इस कार्यालय के ज्ञाप क्रमांक/1543/विद्यो./2013 रायपुर, दिनांक 20.03.2013 द्वारा अधिसूचना जारी किया गया, जिसमें आर.आई.ओ.एस. को समकक्षता अधिसूचित की गई। उक्त अधिसूचना भी छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के नियम/विनियम के विपरीत है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल को किसी अन्य संस्था को अपने समकक्षता प्रदान करने का अधिकार प्रदत्त नहीं है। अतः उक्त दोनों पत्रों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/131-A/समन्वय/2013 रायपुर, दिनांक 22.04.2013 द्वारा आर.आई.ओ.एस. को दी गई सदस्यता/सम्बद्धता निरस्त कर दी गई थी।

उक्त कार्यवाही के विरूद्ध आर.आई.ओ.एस. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में रिट पिटीशन क्रमांक 693/2013 के द्वारा याचिका दायर की गई थी। जिसे माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के समक्ष दिनांक 03.07.2013 को याचिकाकर्ता द्वारा उक्त याचिका को वापस ले लिया और माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर ने याचिका को समाप्त करते हुये निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर गुण-दोषों तथा विधि अनुसार निराकरण किया जावे। उक्त अनुसार आपके द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन पर छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने समग्र विचार कर, समाधानकारक नहीं होने से उसे निरस्त कर दिया गया। अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के समकक्षता/सम्बद्धता स्वमेव समाप्त हो गयी।

उपरोक्तानुसार आर.आई.ओ.एस संस्था के समकक्षता समाप्ति पश्चात् संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का समकक्षता/सम्बद्धता प्राप्त होने का प्रचार करते हुये हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षाओं का आयोजन कर अनुचित तरीके से प्रमाणपत्र को वितरण किया जा रहा है तथा छात्र/छात्राओं को गुमराह किया जा रहा है। तत्कालीन अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के नाम से प्रदाय किया गया दो आदेश पृथक-पृथक दिनांक 11.09.2013 एवं 24.09.2013 का हवाला देते हुये आर.आई.ओ.एस सम्बद्धता का प्रचार कर, प्रमाणपत्र बॉटे जा रहे हैं। उक्त संदिग्ध आदेश छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में अभिलेखबद्ध नहीं है और ऐसे आदेश छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कार्य क्षेत्र से बाहर है। आर.आई.ओ.एस द्वारा उक्त दोनों संदिग्ध एवं अवैधानिक आदेश को लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर भ्रमित किया है तथा छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के समकक्षता/सम्बद्धता के नाम से अवैधानिक गतिविधियों में सलिप्त है।

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल एक पंजीकृत समिति है, जो दिनांक 09.11.2008 को नियमानुसार अस्तित्व में आया है। उनके नियमावली के नियम 3 में स्पष्ट है कि ओपन स्कूल का कार्य क्षेत्र केवल छत्तीसगढ़ राज्य तक सीमित है। अतः यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल को तथा उसके सक्षम प्राधिकारी को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है कि, वे किसी अन्य संस्था को समकक्षता/सम्बद्धता/सदस्यता तथा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी या अन्य परीक्षाओं के आयोजन का अधिकार प्रदान करें। ऐसी

कार्यवाही प्रारंभ से शून्य (Ab initio void) है। संस्था द्वारा अभ्यावेदन निरस्त होने के पश्चात् संस्था का छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से संबंधित समकक्षता/सम्बद्धता/सदस्यता का वैधानिक अस्तित्व नहीं रह जाता। इसलिये संस्था द्वारा किसी प्रकार की परीक्षा का आयोजन कर प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकता।

अतः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/856/समन्वय/2015, रायपुर दिनांक 18.03.2015 द्वारा आर.आई.ओ.एस. को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर में विषय–वस्तु से संबंधित पहलुओं पर नियमानुसार और विधि संगत जवाब प्रस्तुत नहीं किया है कि उपरोक्त दोनों संदिग्ध आदेश अर्थात् दिनांक 11.09.2013 एवं 24.09.2013 क्यों न निरस्त किया जावे? इस संबंध में संस्था द्वारा उत्तर में कुछ भी नहीं दर्शाया गया है। इसलिये छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित प्रबंधकारिणी समिति की बैठक दिनांक 24.04.2015 में छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के नियम, कार्य क्षेत्र एवं शक्तियों को मद्देनजर रखते हुये समिति ने यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त दोनों संदिग्ध आदेश विधि संगत नहीं होने से तथा छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के अधिकार क्षेत्र के बाहर होने के कारण प्रारंभ से ही शून्य है। अतः उन्हें निरस्त किया जावे।

एतद् द्वारा आर.आई.ओ.एस. को सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा किसी प्रकार की समकक्षता/सम्बद्धता प्रदान नहीं की गई है और छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के नाम पर आपके द्वारा किसी प्रकार का प्रमाणपत्र या समकक्षता/सम्बद्धता से संबंधित दस्तावेज, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मोनो, नाम तथा साख को आपके द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में आपकी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल
रायपुर

पृ.क्रमांक/ 102 /विद्यो./2015, **रायपुर, दिनांक 09/05/2015**

प्रतिलिपिः–

01. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास विभाग, मंत्रालय, नई–दिल्ली।
02. अध्यक्ष/सचिव के निज सहायक, छ.ग. राज्य ओपन स्कूल, रायपुर।
03. अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओपन स्कूल संस्थान, नई–दिल्ली।
04. अध्यक्ष, भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मण्डल 6 एच बिगजोस टॉवर, ए–8, नेताजी सुभाष प्लेस, रिंग रोड, दिल्ली –110034.
05. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय–महानदी भवन, नया रायपुर।
06. सचिव, आर.आई.ओ.एस. सी–12, भूतल अरूणा पार्क लक्ष्मी नगर दिल्ली–110092
07. समस्त सचिव, शिक्षा बोर्ड, राज्य...।
08. समस्त नियंत्रक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, राज्य..।
09. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी छ.ग. राज्य ओपन स्कूल, रायपुर।

सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल
रायपुर